

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 2138/2026**

सुजीत @ सुरजीत

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, गृह, लखनऊ के माध्यम से

.....विरोधी पक्ष

---

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| आवेदकगण के अधिवक्ता     | : भारत कुमार दीक्षित |
| विरोधी पक्ष के अधिवक्ता | : शासकीय अधिवक्ता    |

---

**न्यायालय संख्या - 28****माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती**

अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध तीन मुकदमे दर्शाए गए हैं। उक्त तीनों मामलों में आवेदक को पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। जमानत आदेश अभिलेख पर परिशिष्ट-3 के रूप में संलग्न हैं। उक्त तीन मामलों के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध एक अन्य मामला लंबित है, जिसका उल्लेख जमानत प्रार्थना पत्र के पैरा-7 में किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक दिनांक 27.02.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा यदि उसे जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है तो उसके न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने की कोई आशंका नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सभी आदेशों का पालन करेगा तथा वाद के शीघ्र विचारण में सहयोग करेगा।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सह-अभियुक्त सुलखन पहलवान को जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 12494/2025 में पारित आदेश द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(बी) की आवश्यकता के अनुसार एक लिखित प्रतिज्ञा-पत्र देने के लिए तैयार है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किंतु उन्होंने अभियुक्त-आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खंडन नहीं किया ।

गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों में आवेदक को पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा उक्त मामलों के अतिरिक्त उसके विरुद्ध एक अन्य मामला लंबित है, जिसमें भी उसे जमानत मिल चुकी है। सह-अभियुक्त के जमानत आदेश तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक दिनांक 27.02.2026 से जेल में निरुद्ध है, यह न्यायालय आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु उपयुक्त मामला पाता है।

अतः, समानता (Parity) के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक सुजीत उर्फ सुरजीत, जो एफ.आई.आर./वाद अपराध संख्या 302/2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना डलमऊ, जनपद रायबरेली से संबंधित है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन निम्नलिखित शर्तों सहित जमानत पर रिहा किया जाए :

आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा तथा उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो सके।

आवेदक इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र/ प्रतिज्ञान पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि अनुसार उचित आदेश पारित कर सकेगा।

आवेदक धारा 19(4), उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत शपथपत्र सहित यह प्रतिज्ञान पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 269) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

यदि अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (अब बी.एन.एस.एस. की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है, और वह उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209) के अंतर्गत विधि अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र तक सीमित हैं तथा उनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

दिनांक : 31 मार्च, 2026

मुक

Translated Version. Not for Legal Use.

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।